न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

16/380

सीताराम आत्मज श्री नरसी जाति धाकड निवासी ग्राम छोटी पडाप तहसील नैनवा जिला बून्दी।

––अपीलान्ट

बनाम

1. रामकन्या पत्नी श्री महावीर जाति धाकड निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी।
2. जेबुनिशा पत्नी श्री नसरूद्दीन जाति मुसलमान निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. भू–स्वामी जरिये तहसीलदार नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश महोदय, बून्दी जिला बून्दी ।

––रेस्पोडेन्ट

अपील संख्या : 16/382

सीताराम आत्मज श्री नरसी जाति धाकड निवासी ग्राम छोटी पडाप तहसील नैनवा जिला बून्दी।

––अपीलान्ट

बनाम

1. रामकन्या पत्नी श्री महावीर जाति धाकड निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी।
2. जेबुनिशा पत्नी श्री नसरूद्दीन जाति मुसलमान निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. भू–स्वामी जरिये तहसीलदार नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश महोदय, बून्दी जिला बून्दी ।

उपस्थित :– 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।
2. श्री मुकुट पारेता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।

निर्णय

दिनांकः 14.02.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.05.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 05.07.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2. उक्त दोनों अपीलें एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने तथा एक अपील प्राथमिक डिक्री की होने तथा दूसरी अंतिम डिक्री की होने से तथा समान पक्षकार होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय अलग–अलग पत्रावली में संलग्न किया जावे ।

संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 रामकन्या ने अधीनस्थ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम जगदीशपुरा जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 164 रकबा 02 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 01 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 171 रकबा 12 बीघा 03 बिस्वा कुल 03 किता की 25 बीघा 03 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी वादिया का हिस्सा 1/3 व प्रतिवादीगण क्रम 1 से 2 का हिस्सा 1/3 निहित है जिसके अनुसार भी वादिया और प्रतिवादीगण क्रम 1 से 2 अपने–अपने हिस्से 1/3 के अनुसार कृषि भूमि पर काश्त करते चले आ रहे हैं । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है जिसका पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जाना आवश्यक है ।

4. अतः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादी क्रम 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह उक्त आराजी को नष्ट– भ्रष्ट नहीं करे, बलपूर्वक वादिया को उसके हिस्सा 1/3 से बेदखल कर स्वयं कब्जा नहीं करे एवं अन्य किसी भी प्रकार से वादिया के हक एवं आधिपत्य में कोई हस्तक्षेप न तो स्वयं करे न ही किसी अन्य से करावे तथा पक्षकारान के मध्य वादग्रस्त आराजी का विभाजन विधिवत रूप से किया जावे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 20.05.2016 के द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित कर दी । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्राथमिक डिक्री के अनुसार पक्षकारान के मध्य विभाजन की अंतिम डिक्री दिनांक 05.07.2016 पारित कर दी ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.01.2006 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 29.12.2007 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी क्रम 2 सीताराम ने न्यायालय हाजा में उक्त दोनों अपीलें प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.05.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 05.07.2016 निरस्त करने का निवेदन किया ।

7. उक्त दोनों अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों परन्तु प्रस्तुत प्ररकण में पक्षकारान सहमत नहीं थे और उनकी बिना सहमति के ही उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान के मध्य विभाजन की डिक्री पारित करते समय राजस्व मण्डल के विभाजन नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.05.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 05.07.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय ने मध्य राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हिस्से के आधार पर उक्त निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अधीनस्थ ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान हुए ही उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.05.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 05.07.2016 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किय एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोन किया । हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान के मध्य विभाजन की डिक्री पारित करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के हिस्से अनुसार विभाजन की डिक्री पारित की है । अपीलान्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे साबित हो कि वादग्रस्त आराजी के विभाजन में अधीनस्थ न्यायालय ने कोई त्रुटि की हो । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर मौके की रिपोर्ट प्राप्त कर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है ।

11. हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 16/380 एवं 16/382 दोनों खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.05.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 05.07.2016 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 14.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 16/380

सीताराम आत्मज श्री नरसी जाति धाकड निवासी ग्राम छोटी पडाप तहसील नैनवा जिला बून्दी।
—अपीलार्थी

बनाम

1. रामकन्या पत्नी श्री महावीर जाति धाकड निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी।
2. जेबुनिशा पत्नी श्री नसरूद्दीन जाति मुसलमान निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. भू–स्वामी जरिये तहसीलदार नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश महोदय, बून्दी जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

अपील संख्या : 16/382

सीताराम आत्मज श्री नरसी जाति धाकड निवासी ग्राम छोटी पडाप तहसील नैनवा जिला बून्दी।
—अपीलार्थी

बनाम

1. रामकन्या पत्नी श्री महावीर जाति धाकड निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी।
2. जेबुनिशा पत्नी श्री नसरूद्दीन जाति मुसलमान निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी
3. भू–स्वामी जरिये तहसीलदार नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश महोदय, बून्दी जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.05.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 05.07.2016 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी ।

47/दावा/2016

पत्नी श्री महावीर जाति धाकड निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी।

——वादी

बनाम

1. जेबुनिशा पत्नी श्री नसरूद्दीन जाति मुसलमान निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. सीताराम आत्मज श्री नरसी जाति धाकड निवासी ग्राम छोटी पडाप तहसील नैनवा जिला बून्दी।
3. भू–स्वामी जरिये तहसीलदार नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश महोदय, बून्दी जिला बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी के निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.05.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 05.07.2016 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 14.02.2018 को बहाजरी अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री महेश योगी एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री मुकुट पारेता उपस्थित आने पर यह आदेश दिया अपील अपीलान्ट संख्या 16/380 एवं 16/382 दोनों खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.05.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 05.07.2016 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने हैं।

यह डिक्री आज तारीख 14.02.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा